डॉ० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

(पूर्ववर्तीः आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

पत्रांक : सम्ब0/1338/2026 दिनांक : 04/05/2026

संशोधित–पत्र

सेवा में,

प्रबन्धक/सचिव (प्रबन्ध समिति)/प्राचार्य,
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,
डॉ० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा।

विषयः कैशलेस चिकित्सा सुविधा हेतु शिक्षकों का विवरण उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या 260/सत्तर–3–2026–1975038, दिनांक 02.04.2026 के क्रम में विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत पत्र संख्या सम्ब0/1332/2026, दिनांक 02.05.2026 का संदर्भ ग्रहण किया जाए। उक्त पत्र के माध्यम से महाविद्यालयों में कार्यरत विश्वविद्यालय से अनुमोदित (स्ववित्तपोषित) शिक्षकों की प्रमाणित सूची (अनुमोदन पत्र सहित) निर्धारित प्रारूप में दिनांक 04.05.2026 तक अनिवार्यतः उपलब्ध कराए जाने के निर्देश प्रदान किए गए थे।

उक्त के संबंध में आंशिक संशोधन करते हुए यह निर्देशित किया जाता है कि प्रत्येक शिक्षक के संबंध में–

(1) संबंधित शिक्षक द्वारा अपने कार्यरत होने का शपथ–पत्र।

(2) प्रबन्धक/सचिव द्वारा संबंधित शिक्षक के विश्वविद्यालय से अनुमोदित एवं महाविद्यालय में अनवरत कार्यरत होने का पृथक शपथ–पत्र, अनिवार्यतः संलग्न किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

जिन महाविद्यालयों द्वारा पूर्व में सूचना उपलब्ध करा दी गई है, वे भी उपर्युक्तानुसार संबंधित शिक्षकों के शपथ–पत्र एवं प्रबन्धक/सचिव के प्रमाण–पत्र सहित संशोधित अभिलेख दिनांक 07.05.2026 तक अनिवार्यतः उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

अतः उपर्युक्त के क्रम में समस्त महाविद्यालयों को निर्देशित किया जाता है कि निर्धारित समयावधि (दिनांक 07.05.2026) तक अपेक्षित अभिलेख/सूचना उपलब्ध न कराए जाने की स्थिति में यह मान लिया जाएगा कि संबंधित महाविद्यालय में कोई शिक्षक कार्यरत/अनुमोदित नहीं है, जिसके लिए समस्त उत्तरदायित्व संबंधित महाविद्यालय का होगा।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रभारी, कुलपति सचिवालय, मा० कुलपति जी के सूचनार्थ।
2. अधिकृत एजेंसी– उक्त सूचना समस्त महाविद्यालयों के लॉगिन पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
3. गार्ड फाइल।

कुलसचिव

Afflsvlett